

# AMRAPALI YOJNA LUCKNOW

## LEGEND

- 1 ENTRY/EXIT
- 2 LANDSCAPED GREEN
- 3 SURFACE PARKING
- 4 COMMUNITY CENTRE
- 5 POWER CONTROL CENTRE
- 6 RAMPS TO BASEMENT
- 7 U.G.R.
- 8 GUARD ROOM



BLOCK-A 1BHK  
 BLOCK-B, C & D 2BHK  
 BLOCK-E, F & G 2BHK+8

## LAYOUT PLAN

# आम्रपाली एन्क्लेव





## 1BHK Type- A

TOILET, WC, 2 BALCONIES

CARPET AREA- 26.70 SQ.M.

COVERED AREA- 36.48 SQ.M.


SUPER AREA - 44.86 SQ.M.



**CLUSTER PLAN**

**UNIT PLAN**  
**1BHK 1 TOILET, W.C.,**  
**2 BALCONIES**

**CARPET AREA- 26.70 SQ.M.**  
**COVERED AREA- 36.48 SQ.M.**  
**SUPER AREA- 44.86 SQ.M.**



**ISOMETRIC VIEW**

## 1BHK Type- B

TOILET, WC, 2 BALCONIES

CARPET AREA- 37.15 SQ.M.

COVERED AREA- 46.64 SQ.M.

SUPER AREA - 55.02 SQ.M.



**CLUSTER PLAN**

## UNIT PLAN

1BHK Type B


1BHK Store, 1 Toilet,

W.C., 2 BALCONIES

CARPET AREA- 37.15 SQ.M

COVERED AREA- 46.64 SQ.M

SUPER AREA 55.02 SQ.M



ISOMETRIC VIEW

## 2BHK Type A

2BHK, STORE, 2 TOILET,

3 BALCONIES,

CARPET AREA- 61.44 SQ.M.

COVERED AREA- 77.90 SQ.M.

SUPER AREA- 89.75 SQ.M.




## CLUSTER PLAN



## UNIT PLAN

2BHK, STORE, 2 TOILET,  
3 BALCONIES,  
CARPET AREA- 61.44 SQ.M.  
COVERED AREA- 77.90SQ.M.  
SUPER AREA- 89.75 SQ.M.



ISOMETRIC VIEW

## 2BHK Type B


2BHK, 2 TOILET, 3 BALCONIES, STUDY  
CARPET AREA- 66.26 SQ.M.  
COVERED AREA- 83.75 SQ.M.  
SUPER AREA- 97.75 SQ.M.



## CLUSTER PLAN

## UNIT PLAN

2BHK, 2 TOILET, 3 BALCONIES,  
CARPET AREA- 66.26 SQ.M.  
COVERED AREA- 83.75 SQ.M.  
SUPER AREA- 97.75 SQ.M.



ISOMETRIC VIEW

## एक परिचय

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् का गठन परिषद् अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

### उद्देश्य:-

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग कॉम्प्लेक्स तथा आवासीय कॉलोनीयों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे- विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद जन साधारण की आवश्यकताओं को पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये इच्छुक पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी प्रणाली द्वारा अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से स्यूडो रैंडम प्रणाली से निर्धारित पात्रता सूची के आधार पर किया जायेगा।

## परियोजना का विवरण

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ में एफोर्डेबल हाउसिंग के अर्न्तगत "समाजवादी आवास योजना- 2018" के अधीन आम्रपाली एन्क्लेव के नाम से बहुमजिली आवासीय परियोजना में 1BHK एवं 2BHK के कुल 920 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। फ्लैट्स की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।

उक्त परियोजनाओं के अर्न्तगत प्रस्तावित फ्लैट्स विवरण, पंजीकरण मूल्य एवं विशिष्टियां निम्नवत् हैं :

### 1. फ्लैट्स का विवरण

क्र.सं.	फ्लैट्स का प्रकार	फ्लैट्स की संख्या	फ्लैट्स की मंजिलें	सुपर एरिया प्रति फ्लैट्स वर्ग मी० में	कार्पेट एरिया वर्ग मी० में	प्राविधान
1	1BHK Type-A	149	S + 12	44.86	26.70	1 लिविंग रूम/सहनिंग रूम, 1 बेडरूम, 1 बाथरूम, 1 बल्क्यूसी, 2 बालकनी, 1 किचन
2	1BHK Type-B	257	S + 12	55.02	37.15	1 लिविंग रूम/सहनिंग रूम, 1 बेडरूम, 1 बाथरूम, 1 बल्क्यूसी, 2 बालकनी, 1 किचन
3	2BHK Type-A	349	B+S+12	89.75	61.44	1 लिविंग रूम/ सहनिंग रूम, 2 बेडरूम, 2 द्वापलेट, 3 बालकनी, 1 किचन
4	2BHK Type-B	165	B+S+12	97.75	66.26	1 लिविंग रूम/सहनिंग रूम, स्टडी रूम 2 बेडरूम, 2 द्वापलेट, 3 बालकनी, 1 किचन

**नोट:-** पंजीकरण धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के नाम जो लखनऊ शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिये।

# उपलब्ध फ्लैटों का विवरण

## भुगतान का विकल्प 'अ'

अनुमानित मूल्य का एक मुश्त भुगतान पत्र निर्गत तिथि से 30 दिन के अन्दर करने पर 02 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी

## भुगतान का विकल्प 'ब'

आग्नपाली एन्वलेव के फ्लैट्स एवं पंजीकरण घनराशि व किश्तों का विवरण

### सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	फ्लैट्स का प्रकार	नजिले	फ्लैट्स की संख्या	सुपर एरिया (वर्गमीटर)	अनुमानित विक्रय मूल्य (₹ लाख में)	पंजीकरण घनराशि ₹ हजार में (2 प्रतिशत)	घर के परचा 30 दिन के अन्दर देव घनराशि (₹ हजार में) (5 प्रतिशत)	घर के उपरान्त आगामी माह से 30 मासिक किस्त (₹ हजार में)	फ्लैट का प्रदेहन पत्र जारी करने / शीटिंग रुकने के समय देव घनराशि (₹ हजार में) (15 प्रतिशत)	30 मासिक किस्तों के उपरान्त अवशेष 84 मासिक किस्तें (₹ हजार में) (10.5 एवं 11.5 प्रतिशत ब्याज की दर से)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	1BHK (Type A)	S+12	149	44.86	14.00	28000.00	70000.00	14040.00	210000.00	13150.00
2.	1BHK (Type B)	S+12	257	55.02	17.18	34360.00	85900.00	18180.00	257700.00	17950.00
3.	2BHK (Type A)	B+S+12	349	89.75	28.02	56040.00	140100.00	29650.00	420300.00	29280.00
4.	2BHK (Type B)	B+S+12	165	97.75	30.52	61040.00	152600.00	32290.00	457800.00	31800.00

## भुगतान का विकल्प 'स'

आग्नपाली एन्वलेव के फ्लैट्स एवं पंजीकरण घनराशि व किश्तों का विवरण

### सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	नजिले	फ्लैट्स की संख्या	कारपेट क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	सुपर एरिया (वर्गमीटर)	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	पंजीकरण घनराशि 5 प्रतिशत (₹ लाख में)	घर के परचा 30 दिन के अन्दर देव घनराशि (₹ लाख में)	अवशेष भुगतान 11 तिमाही किस्तों में (प्रत्येक किस्त की घनराशि लाख में)
1.	1BHK (Type A)	S+12	149	26.70	44.86	14.00	0.70	1.42	1.08
2.	1BHK (Type B)	S+12	257	37.15	55.02	17.18	0.88	1.89	1.33
3.	2BHK (Type A)	B+S+12	349	61.44	89.75	28.02	1.40	2.86	2.16
4.	2BHK (Type B)	B+S+12	165	66.26	97.75	30.52	1.53	3.03	2.36

## फ्लैट की विशिष्टियाँ

विशिष्टियों का विवरण	समाजवादी आवासीय योजना-2018 1BHK + 2 BHK TYPE फ्लैट्स
फ्लैट्स के निर्माण की पद्धति	फ्रेम स्ट्रक्चर/शियरवाल पद्धति
फर्श	
कमरे	सेरेमिक टाइल
किचन	फर्श में एन्टी स्किड सेरेमिक टाइल्स , कुकिंग, प्लेटफार्म पर ग्रीन मार्बल, दिवारों पर कूकिंग प्लेटफार्म से 0.80 मी. ऊंचाई तक सेरेमिक टाइल।
दवायलेट/बाथरूम	फर्श में एन्टी स्किड सेरेमिक एवं दिवारों पर 1.50 मी. ऊंचाई तक सेरेमिक टाइल्स।
बल्क्यू.सी.	फर्श में एन्टी स्किड सेरेमिक एवं दिवारों पर 0.80 मी. ऊंचाई तक सेरेमिक टाइल्स।
कामन एरिया	एन्टी स्किड सेरेमिक टाइल
स्टेयर केस	कोटा स्टोन फ्लोरिंग
डोर फ्रेम	बाहरी दरवाजे-एम.एस. एंगल आयरन (डबल पताम) ब शेष एम.एस. एंगल आयरन (सिंगल पताम)
विन्डो फ्रेम व विन्डो शटर	एनोडाइज्ड एल्युमिनियम विन्डो फ्रेम एवं शटर विद प्लेन ग्लास
डोर शटर	फलश डोर शटर
डोर एवं विन्डो फिटिंग्स	आई.एस.आई. मार्क एल्युमिनियम फिटिंग्स
आन्तरिक जलापूर्ति	यू.पी.वी.सी. पाइप, सी.पी. फिटिंग्स, किचन में स्टेनलेस स्टील सिंक
आन्तरिक सेनेटरी कार्य	प्रथम दवायलेट में रुबीसा पेन (लो लेवल पी.वी.सी. सिस्टर्न के साथ), द्वितीय दवायलेट की दशा में यूरोपियन शीट (लो लेवल पी.वी.सी. सिस्टर्न के साथ)
विद्युत कार्य	आई.एस.आई. मार्क अग्निरोधक कॉपर वायरिंग पियानो टाइप स्विच एवं फलश टाइप साकेट के साथ।
फिनिशिंग	बाहरी सतह पर वेदर कोट फिनिश, आन्तरिक सतह पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर दरवाजों पर एनामिल पेन्ट।



## प्राविधान/शर्तें:

1. उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। उक्त निर्माण 30 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अंतिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किशतों की धनराशि घट-बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में विभिन्न कारणों यथा-भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।
2. भवनों की टाइप डिजाइन व ले आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
3. प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल के आवंटियों से लोकेशन चार्ज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य लिया जाना प्रस्तावित है।
4. आवंटियों को बेसमेंट पार्किंग ₹0 1.75 लाख कवर्ड स्टिल्ड कार पार्किंग, ₹0 2.00 लाख एवं ओपेन कार पार्किंग हेतु ₹0 1.00 लाख अतिरिक्त देय होगा। पार्किंग का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जायेगा। अतिरिक्त पार्किंग की सुविधा उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त निर्धारित मूल्यों पर देय होगी।
5. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को कॉर्पोरेट फण्ड में फ्लैट के विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत भौतिक कब्जा से पूर्व देय होगी। इन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से दो वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कॉर्पोरेट फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति को अनुरक्षण अपने श्रोतों से करना होगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
6. परिसर का रखरखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है उसके उपरांत 'रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी' द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
7. सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट आपरेशन, जनरेटर, कैंपस लाइट, सिवियोरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देखरेख, सफाई विद्युत बिल आदि के रखरखाव हेतु फ्लैट आवंटी को कब्जा प्राप्त तिथि से दो वर्ष तक ₹0 1.25 प्रतिवर्ग फिट (सुपर एरिया) की दर से रखरखाव शुल्क अतिरिक्त देना होगा। जिसे बाद में परिषद/सोसाइटी को कम या अधिक करने का अधिकार होगा।

8. परिसर हेतु बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में एक मल्टीपरपज हाल/कम्युनिटी सेन्टर बनाया प्रस्तावित है। जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।
9. राज्य/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्राविधानिक विभिन्न प्रकार के टैक्स यथा-वैट, सर्विस टैक्स, लेबर सेस आदि, रजिस्ट्री व्यय तथा भविष्य में उक्त टैक्सों की दरों में परिवर्तन होने की दशा में अन्तर धनराशि, आवंटी द्वारा वहन की जायेगी।

### **पंजीकरण हेतु पात्रता:**

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
- 3.3 स्व वित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा/सम्पत्ति सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

### **पंजीयन के नियम:**

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमत्त है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर आवेदन सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय आम्रपाली योजना लखनऊ में आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जाएगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।

- 4.5 यदि कोई आवेदक पात्र चयनित हो जाता है तो मांग पत्र निर्गमन तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किंतु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय आग्नपाली योजना, लखनऊ में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य/स्वीकार नहीं होगा।
- 4.6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 8 माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- 4.7 यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किंतु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 4.8 इस योजना के अंतर्गत आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को फ्लैट्स आवंटित नहीं हो पाते हैं तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

### **भुगतान का तरीका:**

1. पुस्तिका में अंकित विकल्प 'अ' 'ब' 'स' के अनुसार फ्लैट का भुगतान किया जा सकता है।
2. फ्लैट के निर्माणाधीन अवस्था में लाटरी से आवेदक को फ्लैट का नम्बर आवंटित किया जायेगा।

3. मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किये जाने पर किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से पूर्ण माह का ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
4. आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
5. नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त/कर/शुल्क गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटनी को करना होगा।
6. पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चेक 'उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद' / "UPAVP" के नाम जो लखनऊ में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।  
उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या/चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।

### **आवंटन नियम:**

- 6.1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ज्ञा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन

पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6.4 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से नीचे से ऊपर उच्च रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में श्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक की ग्रुपिंग मान्य होगी।
- 6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्वी डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों एवं आवंटों की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, आन्नपाली से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

## आरक्षण

**प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैट्स में आरक्षण शासन/परिषद् के हॉटेल अनुसार प्रभावी होगा, जो वर्तमान में विद्यमानुसार है।**

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1.	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	-तदैव-
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-तदैव-
4.	विधायक/सांसद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। (ब) समुचित प्रमाण-पत्र
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुस्था सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
6.	उग्रो आवास एवं विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न करना है। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अखिरका के अन्तर्गत कार्यरत हो।
7.	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करना है।
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
9.	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की तिथि अंतिम तिथि तक 80 वर्ष कम्पना यथा निर्वाचित छससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आसार पर)	10	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण-पत्र अथवा वैधानिक प्रमाण-पत्र
10.	परिषद् योजना द्वारा उसी योजना में विस्थापित व्यक्ति	कोई निश्चित प्रतिशत नहीं (अधिकतम 10 प्रतिशत)	पंजीकरण वीर के बावजूद आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता, सम्बन्धित विशेष मृत्ति अध्यापित अधिकारी एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् से निर्वाचित प्रमाण-पत्र, संलग्न करने पर विस्थापित को ही जायेगी अथवा परिवार द्वारा निर्वाचित क्षेत्रफल का मुख्य/समन दिना जायेगा अथवा यथा निर्धारित माध्याम श्रेणी को एक सम्पत्ति आवंटित की जायेगी।

**नोट:-** 1. उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवंटन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हॉरिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

## **हारिजेन्टर आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा-**

7.1 कौड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक आरक्षण कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्र से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक के अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पात्र नहीं माने जायेंगे।

## **भूमि विस्थापितों के लिए प्राविधान-**

भूमि विस्थापितों को शासनादेश/परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी भूमि विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिग्रहीत किया गया है। इस हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सलग्न करना होगा।

## **असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी-**

8.1 पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदक के खाते में वापस कर दी जायेगी।

## **फ्लैट्स का भौतिक कब्जा**

- 9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन/सेल सीड कशने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तागत किया जायेगा।
- 9.3 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रु 50,000 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' को फ्लैट्स का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

## **तर्कों का छिपाना:**

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार 'उपग्रह आवास एवं विकास परिषद' में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

## **अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें:**

- 11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण का परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश, निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण/फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इन्डेमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 11.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अंतिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 11.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 11.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित फ्लैट्स के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 11.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 11.8 फ्लैट्स का अन्तिम मूल्य परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। फ्लैट्स के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।



**आप्रपाली एन्क्लेव आप्रपाली योजना, हरदोई रोड में समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत बैंक शाखाओं के नाम व पते जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।**

**पंजीकरण 01 फरवरी 2016 से प्रारम्भ  
पंजीकरण आवेदन जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 15 मार्च 2016**

बैंक का नाम	पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं०
1 इलाहाबाद बैंक	नौबल ब्रान्च, बालागंज, हरदोई रोड, लखनऊ।	श्री नीरज	मो०: 9506532232
2 इलाहाबाद बैंक	मेन ब्रान्च, इजरतगंज, लखनऊ।	श्री विनोद दीक्षित	0522-2288859 मो०: 9415150960
3 इलाहाबाद बैंक	स्टाफ कालेज ब्रान्च, सैटर-21, रिंग रोड इन्विरा नगर, लखनऊ।	श्री पवन कुमार सक्सेना	0522-27177081 मो०: 9984882914
4 इलाहाबाद बैंक	अमीनाबाद ब्रान्च, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ।	श्री महेन्द्र बाजपेई	0522-2615589 मो०: 8858984879
5 बैंक ऑफ बङ्गाल	नौबल ब्रान्च, ठाकुरगंज ब्रान्च, लखनऊ।	श्री आरुणिका त्रिपाठी	मो०: 8090001153
6 बैंक ऑफ बङ्गाल	नक्सस ब्रान्च, लखनऊ।	श्री मसूद आलम	मो०: 8090001453

**आप्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ में ऑफोडिबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत "समाजवादी आवास योजना-2016" के अधीन "आप्रपाली इन्क्लेव" में प्रस्तावित बहुमंजिले फ्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु**

### **आवश्यक दिशा-निर्देश**

उक्त योजनान्तर्गत बहुमंजिले फ्लैट्स के ऑन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Steps) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा :-

#### **प्रथम चरण (Step-1):**

**आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)**

1. आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदन सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) पर जाकर मुख्यपृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flat पर क्लिक करना होगा।

2. इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Amrapali Eclave Amrapali Yojana Hardoi Road, Lucknow" पर क्लिक करना होगा।
  3. आवेदक द्वारा संबंधित योजना/फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
  4. तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, इच्छित फ्लैट्स आदि विवरण ऑन-लाईन फीड किये जायेंगे।
  5. उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा "Submit" बटन पर क्लिक किया जायेगा।
  6. "Submit" करने के उपरान्त आवेदक द्वारा "Confirm" करने की दशा में उसे अपने ऑन-लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
  7. उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'आपदर्ज' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
  8. आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदक शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी :-
    - ✓ Visit website [www.upavp.com](http://www.upavp.com) & click on link "Online Registration of Flats"
    - ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
    - ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
    - ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'.
    - ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS\*' webpage will be available.
    - ✓ Applicant can choose anyone available option for making payment.
  9. उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID प्रदान किया जायेगा।  
(नोट-खिमाण्ड ब्राफ्ट/बैंकर्स चेक "U.P. Avas Evam Vikas Parishad" के पक्ष में जो कि लखनऊ शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।)
- \*MOPS : Multi Option Payment System

## **द्वितीय चरण (Step-2):**

### **अंतिम रूप से आन-लाईन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)**

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घण्टे/पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) के लिंक Online Registration For Flats पर जोकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक 'Submit Application Details' पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एवं Journal No./Reference No./Transaction ID भरकर अपना आन-लाईन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाईन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन-लाईन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए 'Submit' करना होगा।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आईडी प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति/आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी शपथ पत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

### **"सम्पत्ति प्रबंधक"**

सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय आग्रपाली योजना,  
"उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद",  
आफिस काम्प्लेक्स- आग्रपाली योजना,  
ई-29-30, निकट शहीद पार्क हरदोई रोड,  
लखनऊ (उ०प्र०)

### **नोट:-**

सूक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क ₹ 300/- देकर प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

## आवेदन - पत्र में भरने के लिए निर्देश

1. आवेदन-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले बाल प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।
2. आवेदन पत्र के नाम (क्रमांक 4 एवं 5 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाये।
3. अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लॉक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में (BLOCK LETTERS) में भरें हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
4. आवेदक केवल भारतीय अंकों के अन्तराष्ट्रीय रूप का प्रयोग करें। जैसे - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
5. आवेदक को पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथा स्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किया जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग फोटोग्राफ पर व आधा भाग आवेदन पत्र पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
6. एक ब्लॉक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
7. नाम व पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान/ब्लॉक अवश्य छोड़े।
8. आवेदन पत्र में बिन्दु-6 पर अंकित लिंग (Sex) कालम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें।
9. फ्लैट के प्रकार पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण से 1BHK एवं 2BHK में किसी एक को भरना होगा।
10. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

vkonu i = eaHkj usdsfy, dkM dh I ph (vkj {k. k dkM)

gkfj tVj vkj {k. k	dkM I 0
orëku fo/kk; dj I ka n] LorU=rk I æke I sikh	F
I jdkjh I oðka rFkk I g {kk I oðvka ds deþkj	G
tks 50 o"Kz dh vk; q i wkz dj pps gka	
m0i 0 vkokl , oafodkl ifj"kn]	B
fodkl ikf/kdj.k] ty I LFkk] uxj	
egki kfydkA	
orëku I sud] Hkwr i wZ I sud o muds vkfJr	R
I ekt ds fodykæ 0; fDr	D
ofj"B ukxfjd %o) tu½	O
foLFkfi r	W
vkj {k. k Js kh	dkM I 0
vuq fpr tkfr	01
vuq fpr tutkfr	02
vu; fi NMk oxz	03
%vukj f{kr½ I keku; oxz	04

'kgj	dkM
y[kuÅ	077
; kst uk	dkM
vkei kyh ; kst uk	014
lyV ds izdkj	dkM
1BHK (Type-A)	1 A
1BHK (Type-B)	1 B
2BHK (Type-A)	2 A
2BHK (Type-B)	2 B
fyæ	dkM
L=h	M
i q "k	F
I æpr vkonu dh fLFkfr ea	HW
Hkqrku	dkM
uxn	01
fd'r	02

; kst uk dsf0; kUo; u dh tkudkj graqfueu dk; kzy; dk; Zfnol @ e;  
ij fuEu dk; kzy; ka l sl Ei dzdj I drsga

Jh fetkz tkon dnj  
I Ei fRr izdkd  
ek0% 8795811426

Jh ješk feJ  
vf/k' kkl h vfHk; ark  
ek0% 8795810058

Jh , I 0 d0 jk; rkuh  
v/kh{k.k vfHk; ark  
ek0% 8795810045

## मुख्य परिभाषार्थ

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

### आवेदक का परिवार:-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

### आय-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

### भूखण्ड/भवन-

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

### सम्पत्ति-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन, फ्लैट अथवा भूखण्ड से है।

### चरण (पंजीकरण का खुलना)-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिए भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

### सरकारी सेवाओं से तात्पर्य-

उपरोक्त राज्य की सेवा में तथा उपरोक्त राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

### विस्थापित व्यक्ति-

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा उस योजना में अधिगृहीत की गयी हो।

### स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है-

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बंटों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो मृतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या मृतपूर्व इण्डिया इन्डिपेंडेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण अनुमान्य नहीं होगा।

### **सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य-**

सेवारत/सेवा निवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य  
उपरो शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली  
जातियों से है।

### **अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य-**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य  
शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों  
से है।

### **अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य**

उपरो (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों  
और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण  
अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की  
अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की  
अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग  
की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का  
लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

### **नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य-**

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा  
प्रमाणित नेत्रहीन/विकलांग व्यक्ति से है।

### **परिषद कर्मचारी का तात्पर्य-**

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या  
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है  
जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

### **परिषद का तात्पर्य-**

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।  
विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर  
महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का  
तात्पर्य-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी  
भर्ती से नियुक्त हों।

# परिषद का दृष्टि बक्तव्य

**VISION**

## *Statement*

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्पूर्ण आवास की समस्याओं का समाधान, सम्पदा विकास एवं पर्यावरण संरक्षित आवासीय एवं लघु व्यवसायिक टाउनशिप तथा शैक्षिक पार्क्स को विकसित करते हुए विश्व स्तर पर सम्मानित एवं विख्यात संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाने का प्रसाद करेगी।

उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में परिषद ग्राहकों के हित का सर्वोच्च प्राथमिकता हितग्रहियों के लिए न्यायोचित लाभ सुनिश्चित करेगी तथा अपने कार्यक्षेत्र के सभी आयामों में पूर्ण गुणवत्ता रखेगी।